भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1787
(30 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वृद्धावस्था पेंशन

1787. डॉ. उदित राजः
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः
श्री रमेश बिधूड़ीः
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबूः
श्री बी. श्रीरामुलुः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियों और लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वांछित लाभार्थियों को पेंशन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के संशोधित पात्र मानदंडों के अंतर्गत अतिरिक्त लाभार्थी चिन्हित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है; और
(ङ) क्या सरकार का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पेंशन राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) एनएसएपी की योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2014-15 से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) बना दिया गया है और अब योजना-वार निधियां रिलीज़ की जाती हैं। तथापि, वर्ष 2014-15 से पहले एनएसएपी की योजनाएं राज्य योजना के अधीन थीं और एनएसएपी के लिए निधियों का आबंटन योजना आयोग करता था और एनएसएपी की सभी योजनाओं के लिए संयुक्त आबंटन के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में निधियां राज्यों को वित्त मंत्रालय और संघ राज्य क्षेत्रों को गृह मंत्रालय रिलीज़ करते थे। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में आबंटित निधियों और लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दर्शाया गया है।

(ख) एनएसएपी की योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से एनएसएपी-एमआईएस नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और निर्धारण के मॉड्यूल, पेंशन के वितरण, निधियों की रिलीज़, सत्यापन, पेंशन की स्वीकृति, अस्वीकृति के कारणों इत्यादि के ब्यौरे दर्शाए गए हैं। राज्यों को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में एनएसएपी की योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का मासिक ब्यौरा दर्शाना होता है। एनएसएपी की पेंशन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया गया है, ताकि पेंशन राशि नियमित रूप से लाभार्थियों के खातों में अंतरित हो। सामुदायिक भागीदारी से कराई जाने वाली सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से कार्योत्तर सत्यापन भी किया जाता है।

(ग) और (घ) एनएसएपी की योजनाओं के लाभार्थियों की अनुमानित संख्या की जानकारी पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सूचित किया गया है कि वे एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 2002 की बीपीएल सूची के वैध रहने की अवधि में उस सूची में नए नाम जोड़ने और अपात्र नाम उस सूची से हटाने का कार्य निरंतर जारी रख सकते हैं। बीपीएल सूची में नए नाम जोड़ने/नाम हटाने का कार्य पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में अपील की व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए।

(ङ) एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत पेंशन राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 30.07.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1787 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान आबंटित निधियों और लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14		2014-15	
		एनएसएपी की पाँचों योजनाओं के अंतर्गत कुल आबंटन (रुपए लाख में)	आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत आबंटन (रुपए लाख में)	आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या
1.	आँध्र प्रदेश	62495.43	1792333	17419.86	857666
2.	बिहार	132391.73	4294650	71513.25	4604190
3.	छत्तीसगढ़	28551.35	682076	12631.05	675273
4.	गोवा	274.21	2136	0.00	2136
5.	गुजरात	18143.76	454563	4949.22	503231
6.	हरियाणा	7796.01	147191	3148.59	147191
7.	हिमाचल प्रदेश	3323.01	85707	1782.51	86831
8.	जम्मू और कश्मीर	3888.20	NR	3047.55	NR
9.	झारखंड	29198.87	554239	10919.40	770953
10.	कर्नाटक	53350.01	966595	20433.57	895818
11.	केरल	13986.50	339582	2925.75	555026
12.	मध्य प्रदेश	74453.83	1574443	27265.11	1442023
13.	महाराष्ट्र	72258.14	1118000	19207.08	1186702
14.	ओडिशा	71294.94	1418631	31453.56	1418631
15.	पंजाब	6739.34	7964	3288.30	NR
16.	राजस्थान	31275.40	758654	11908.62	720721
17.	तमिलनाडु	58519.36	1436444	16507.83	1392083
18.	तेलंगाना	NA	NA	12449.58	612955
19.	उत्तर प्रदेश	157951.23	3854824	74507.52	3474958
20.	उत्तराखंड	9957.35	252930	3674.43	251312
21.	पश्चिम बंगाल	83156.12	1310280	42381.65	1886739
पूर्वोत्तर राज्य					
22.	अरुणाचल प्रदेश	1057.28	31209	612.45	NR
23.	असम	21584.02	785836	14320.28	785836
24.	मणिपुर	2371.73	64547	1392.93	NR
25.	मेघालय	1889.26	48924	995.85	49997
26.	मिजोरम	803.72	25251	590.88	25469
27.	नागालैंड	1534.80	47191	1105.71	54898
28.	सिक्किम	573.51	NR	395.10	21821
29.	त्रिपुरा	5352.17	142055	4316.08	163151
	उप कुल	**954171.28**	**22196255**	**415143.71**	**22585611**
संघ राज्य क्षेत्र					
30.	अंडमान और निकोबार	246.99	777	0.00	813
31.	चंडीगढ़	201.96	2792	0.00	NR
32.	दादर और नगर हवेली	292.29	NR	0.00	NR
33.	दमन और दीव	50.34	2194	0.00	NR
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5458.53	NR	2556.18	376568
35.	लक्षद्वीप	30.68	NR	0.00	NR
36.	पुदुचेरी	998.71	NR	398.16	18135
	उप कुल	7279.50	5763	2954.34	395516
	कुल योग	**961450.78**	**22202018**	**418098.05**	**22981127**

NR- असूचित